झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
नागरिक अधिकार पत्र

1. इस अधिकार पत्र का लक्ष्य/उद्देश्य लोक सेवा में बेहत्तर गुणवत्ता के लिये काम करना है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार का एक गैर योजना विभाग है। विभाग का मुख्य कार्य मादक द्रव्यों के विनियमन से संबंधित प्रशासन का संचालन करना एवं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक ''मद्य निषेध'' की दिशा में यथा सम्भव कारगर प्रयास करना है। उत्पाद वस्तुओं के विनियमन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों के संग्रहण से राजस्व प्राप्ति कर राजकीय कोष को समृद्ध करना है। राजस्व वृद्धि के सतत् प्रयास के फलस्वरूप राज्य के विकास एवं लोक हितकारी योजनाओं का बल प्राप्त होता है।

2. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्न सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैः—

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं इसके अन्तर्गत बने विभिन्न नियमावली के तहत उत्पाद वस्तुओं के विनियमन हेतु विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्ति, पास एवं परमिट निर्गत किया जाता है। इन उत्पाद वस्तुओं के विधि सम्मत पर्यवेक्षण हेतु विभाग द्वारा मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जानेवाले लेबलों के निबंधन/नवीकरण एवं अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का निर्धारण का कार्य भी किया जाता है।

मादक द्रव्यों के दुरूपयोग को रोकने एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण, छापामारी एवं अन्य निरोधात्मक कार्य किया जाता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मुख्य लक्ष्य झारखण्ड उत्पाद अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत गठित विभिन्न नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राजकीय कोष हेतु उत्तरोत्तर राजस्व संग्रहण में वद्धि करना है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग स्वच्छ, सुदृढ़, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासन प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उत्पाद विभाग द्वारा प्रदान की जानेवाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं को समयवद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण विभागीय कार्रवाई एवं प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में विभाग प्रवृत है।

3. हमारा लक्ष्य निम्नवत सेवा उपलब्ध कराने की हैः—

सेवा की गारन्टी अधिनियम के तहत् उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं के लिये निर्धारित समय सीमा निम्नवत है—

क्र0 सं0	प्रदायी सेवाओं का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वतीय अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	License for setting up a shop for retail sale of the excisable articles. (Shops are to be settled by draw of lot among the applicants.	संबंधित जिले के उपायुक्त	आगामी वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती प्रत्येक वर्ष के फरवरी—मार्च माह में राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित बिक्री अधिसूचना की शर्त्तो के तहत् योग्य आवेदकों के बीच लॉटरी विधि से की जाती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिये फरवरी—मार्च माह में बन्दोबस्ती की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त शेष बची अबन्दोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती जिला के उपायुक्त के द्वारा प्रकाशित बिक्री अधिसूचना में निर्धारित तिथि को की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा स्वीकृत कुल अनुज्ञप्तियों के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती हेतु दावा कोई भी आवेदक स्वेच्छा से नहीं कर सकता है।	आयुक्त उत्पाद	2 सप्ताह अर्थात 14 कार्यदिवस	सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2 सप्ताह अर्थात 14 कार्यदिवस

क्र0 सं0	प्रदायी सेवाओं का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	License for setting up a distillery & brewery	संबंधित जिले के उपायुक्त	3 सप्ताह अर्थात् 21 कार्यदिवस	आयुक्त उत्पाद	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस	सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस
2	License for setting up a compounding, Blending & Bottling of liquor & Beer	संबंधित जिले के उपायुक्त	3 सप्ताह अर्थात् 21 कार्यदिवस	आयुक्त उत्पाद	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस	सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस
3	License for setting up a Hotel, Bar, Restaurant & Club	संबंधित जिले के उपायुक्त	3 सप्ताह अर्थात् 21 कार्यदिवस	आयुक्त उत्पाद	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस	सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस
4	License for setting up a wholesale/distributorship of IMFL	संबंधित जिले के उपायुक्त	3 सप्ताह अर्थात् 21 कार्यदिवस	आयुक्त उत्पाद	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस	सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस
5	License for setting up a Shop for retail sale & wholesale of denatured spirit	संबंधित जिले के उपायुक्त	3 सप्ताह अर्थात् 21 कार्यदिवस	आयुक्त उत्पाद	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस	सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्यदिवस

4. सूचना की उपलब्धता–निम्न जिलों में सूचना निम्नांकित पदाधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है:–

क्र0 सं0	पदा.का नाम	कार्यालय का नाम	कोड	दूरभाष (का.)	फैक्स नः	मोबाईल
1	श्री विनोद शंकर सिंह	आयुक्त	0651	2400508	2400789	8002660055
2	श्री गजेन्द्र कुमार सिंह	उपायुक्त उत्पाद, द0छो0प्रमण्डल, राँची–सह–उपायुक्त उत्पाद (मु0)	0651	2400213	00	9430757247
3	श्री एहरार आलम	उपायुक्त उत्पाद, उ0छो0प्रमण्डल, हजारीबाग।	0651	00	00	9934547167
4	श्री शशिशेखर प्रसाद	उपायुक्त उत्पाद, सं0प0प्रमण्डल, दुमका।	06546 06434	262428 230711	264808	9430397901
5	श्री राकेश कुमार	सहायक आयुक्त उत्पाद, राँची।	0651	2202644	2202644	9431482787
6	श्री सुनील कुमार चौधरी	सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग–सह–चतरा–सह रामगढ़।	06546	264263	264808	9431058181
7	श्री संजय कुमार मेहता	सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो।	06542	00	232800 249904	9572625622

8	श्री उमा शंकर सिंह	सहायक आयुक्त उत्पाद, धनबाद।	0326	2312483	2312483	9471180400
9	श्री अरविन्द कुजूर	सहायक आयुक्त उत्पाद, पूर्वी सिंहभूम।	0657	2440007	2426929 2220411	9431141092
10	श्री अवधेश कु0 सिंह	अधीक्षक उत्पाद, दुमका–सह–गोड्डा।	06434	00	222287	9386766732
11	श्री अग्नि कु0 सिंह	अधीक्षक उत्पाद, साहेबगंज।	06436	00	222352 224592	8092415893
12	श्री रंजन कुमार	अधीक्षक उत्पाद, गुमला–सह–लोहरदगा–सह–सिमडेगा।	06524	00	223084	8936058911
13	श्री अरूण कु0 मिश्रा	अधीक्षक उत्पाद, प0 सिंहभूम।	06582	256090	256422	9204447336
14	श्री जितेन्द्र कुमार	अधीक्षक उत्पाद, पलामू–सह–लातेहार।	06562	00	224077	9546179001
15	श्री अग्नि कु0 सिंह	अधीक्षक उत्पाद, देवघर।	06432	00	232967	8092415893
16	श्री अजय कु0 गोंड	अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह।	06532	00	222699 222435	9431588327
17	श्री अवधेश कु0 सिंह	अधीक्षक उत्पाद, पाकुड़।	06435	00	222255	9386766732
18	श्री मनोज कुमार	अधीक्षक उत्पाद, सरायकेला–खरसावँ।	06597	00	234160 234003	8943129606
19	श्री संजय कु0 श्रीवास्तव	अधीक्षक उत्पाद, जामताड़ा।	06433	00	222010 222170	9431387783
20	श्री जितेन्द्र कुमार	अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा।	06561	00	222222	9546179001
21	श्री रामलीला रवानी	अधीक्षक उत्पाद, कोडरमा।	06534	00	252348	9204419240
22	श्री अखौरी धनंजय कु0 सिन्हा	मुख्यालय (ई0आई0बी0)	0651	00	00	8986685064

5. **उत्पाद कार्यालयों का नामः– उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड राँची के अन्तर्गत निम्न उत्पाद कार्यालय है–**

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	कार्यालय का पत्ता
1	उपायुक्त उत्पाद, द0छो0प्रमण्डल, राँची।	टी0ए0बिल्डिंग धुर्वा राँची।
2	उपायुक्त उत्पाद, उ0छो0प्रमण्डल, हजारीबाग।	हजारीबाग समाहरणालय एस0पी0ऑफिस के निकट।
3	उपायुक्त उत्पाद, सं0प0प्रमण्डल, दुमका।	कम्बाइन्ड़ बिल्डिंग दुमका।
4	सहायक आयुक्त उत्पाद, राँची।	कचहरी परिसर राँची।
5	सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग–सह–चतरा–सह रामगढ़।	हजारीबाग समाहरणालय एस0पी0 ऑफिस के निकट
6	सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो।	समाहरणालय परिसर चास बोकारो।
7	सहायक आयुक्त उत्पाद, धनबाद।	समाहरणालय परिसर धनबाद।
8	सहायक आयुक्त उत्पाद, पूर्वी सिंहभूम।	जेल चौक, साक्षी जमशेदपुर।
9	अधीक्षक उत्पाद, दुमका–सह–गोड्डा।	दुमका समाहरणालय ए0 ब्लॉक 3 फ्लौर।
10	अधीक्षक उत्पाद, साहेबगंज।	साहेबगंज समाहरणालय के निकट।
11	अधीक्षक उत्पाद, गुमला–सह–लोहरदगा–सह–सिमडेगा।	कोर्ट कम्पाउंड़ फ्स्ट फ्लौर।
12	अधीक्षक उत्पाद, प0 सिंहभूम।	कोर्ट कैम्पस प0सिंहभूम चाईबासा।
13	अधीक्षक उत्पाद, पलामू–सह–लातेहार।	समाहरणालय मेदनीनगर डालटेनगंज।
14	अधीक्षक उत्पाद, देवघर।	नियर बिग बाजार बैद्यनाथधाम स्टेशन रोड़ देवघर।
15	अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह।	समाहरणालय परिसर, गिरिडीह।
16	अधीक्षक उत्पाद, पाकुड़।	अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पाकुड़ जिला पाकुड़, झारखण्ड़।
17	अधीक्षक उत्पाद, सरायकेला–खरसावँ।	समाहरणालय भवन, कमरा न0–20

18	अधीक्षक उत्पाद, जामताड़ा।	पुराना कोर्ट जामताड़ा।
19	अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा।	समाहरणालय परिसर गढ़वा।
20	अधीक्षक उत्पाद, कोडरमा।	समाहरणालय परिसर, कोडरमा।
21	मुख्यालय (ई0आई0बी0)	टी0ए0 बिल्डिंग धुर्वा राँची।

6. विभागीय कार्य निष्पादन हेतु शक्ति स्रोतः—

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मुख्यतः झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915, स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, औषधि प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद) शुल्क अधिनियम, 1955, छोआ अधिनियम, 1947 तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बने विभिन्न नियमों के अनुसरण में कार्यों का निष्पादन करता है।

7. विभागीय प्रशासनिक ढ़ांचाः—

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का प्रशासन त्रिस्तरीय ढांचे के तहत् कार्य करता है। सर्वोच्च स्तर पर सचिव एवं आयुक्त उत्पाद का कार्यालय है जो उत्पाद मुख्यालय का कार्य करता है तथा राज्य सरकार के निर्देशन में झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद नीति निर्धारण एवं प्रशासनिक व्यवस्था का पर्यवेक्षण एवं संचालन करता है।

द्वितीय स्तर पर प्रमण्डलीय उपायुक्त उत्पाद का कार्यालय है, जो मुख्यतः प्रमण्डल के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न जिलों में उत्पाद प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है।

तृतीय स्तर पर जिला उत्पाद प्रशासन है जिसके प्रधान जिला के उपायुक्त होते हैं तथा दैनिक उत्पाद कार्यो का निष्पादन जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद अपने अधीनस्थ निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं उत्पाद सिपाही के सहयोग से करते हैं।

8. विभाग का वर्षवार राजस्व प्राप्तिः—

क्र0सं0	वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (करोड़ रू0में)	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रू0में)
1	2001—2002	200.00	101.98
2	2002—2003	224.10	101.88
3	2003—2004	252.47	94.50
4	2004—2005	125.00	152.00
5	2005—2006	155.00	159.00
6	2006—2007	200.00	127.43
7	2007—2008	225.00	149.91
8	2008—2009	300.00	204.54
9	2009—2010	330.00	329.87
10	2010—2011	525.00	407.62
11	2011—2012	700.00	492.13
12	2012—2013	700.00	593.00
13	2013—2014	700.00	643.70
14	2014—2015	850.00	764.55
15	2015—2016	1200.00	915.68

9. उत्पाद वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाईः—

क्र0सं0	औद्योगिक इकाई का नाम
1	सर्वश्री अंकुर बायोकेम प्रा0 लि0, निरसा, धनबाद (डिस्टीलरी)
2	सर्वश्री स्पेन्सर डिस्टीलरीज एण्ड ब्रिवरीज प्रा0 लि0, टुपुदाना, हटिया, राँची
3	सर्वश्री अजन्ता बॉटलर्स एण्ड ब्लेन्डर्स प्रा0 लि0, टुपुदाना, हटिया, राँची
4	सर्वश्री जेमिनी डिस्टीलरीज (झा0) प्रा0 लि0, टाटीसिल्वे, राँची
5	सर्वश्री श्रीलैब ब्रिवरीज प्रा0 लि0, टाटीसिल्वे, राँची

6	सर्वश्री तिलोकसन्स ब्रिवरीज एण्ड डिस्टीलरी, प्लान्डू, राँची
7	सर्वश्री ओम बॉटलर्स एण्ड ब्लेन्डर्स प्रा0 लि0, बोकारो
8	सर्वश्री सिलिका बॉटलिंग एण्ड ब्लेन्डिंग प्लान्ट प्रा0 लि0, राँची
9	सर्वश्री पॉली हिल्स ब्रिवरी लिमिटेड, रामगढ़

10. देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के उत्पादन हेतु प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति की सूचीः—

देशी शराब

क्र0सं0	**अनुज्ञप्तिधारी का नाम**	**प्रक्षेत्र का नाम**	**प्रक्षेत्र के अन्तर्गत जिला**	**अनन्न विशेषधिकार की अवधि**
1.	मेसर्स कुमार बॉटलर्स, नावाटोली, डाल्टेनगंज, पलामू	राँची	1. राँची 2. खूंटी 3. गुमला 4. सिंमडेगा 5. लोहरदगा 6. पश्चिमी सिंहभूम 7. सरायकेला—खरसावाँ 8. पूर्वी सिंहभूम 9. पलामू 10. लातेहार 11. गढ़वा	31.03.18 तक
2.	मेसर्स माँ तारिणी नेचुरल रिर्सोसेज प्रा0 लि0, 77/1बी0, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता	धनबाद	1. दुमका 2. गोड्डा 3. जामताड़ा 4. देवघर 5. साहेबगंज 6. पाकुड़ 7. बोकारो 8. हजारीबाग 9. कोडरमा 10. चतरा 11. रामगढ़ 12. गिरिडीह 13. धनबाद	31.03.18 तक

मसालेदार देशी शराब

क्र0सं0	**अनुज्ञप्तिधारी का नाम**	**प्रक्षेत्र का नाम**	**प्रक्षेत्र के अन्तर्गत जिला**	
1.	**सर्वश्री जेन्विन बॉटलर्स, सरस्वती कॉम्पलेक्स, गढ़वा**	**राँची**	1. राँची 2. खूंटी 3. गुमला 4. सिंमडेगा 5. लोहरदगा 6. पश्चिमी सिंहभूम 7. सरायकेला—खरसावाँ	31.03.18 तक

			8. पूर्वी सिंहभूम 9. पलामू 10. लातेहार 11. गढ़वा	
2.	**सर्वश्री के0 डी0 लिकर एण्ड फर्टिलाईजर प्रा0 लि0, 503, एन0पी0 सेन्टर, न्यू डाकबंगला रोड, पटना**	**हजारीबाग**	1. दुमका 2. गोड्डा 3. जामताड़ा 4. देवघर 5. साहेबगंज 6. पाकुड़ 7. बोकारो 8. हजारीबाग 9. कोडरमा 10. चतरा 11. रामगढ़ 12. गिरिडीह 13. धनबाद	31.03.18 तक

11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के उत्पाद आसंजक लेवल (Excise Adhesive Label) की मुख्य पहचानः–

मदिरा बिक्री के क्षेत्र में संगठनात्मक चौर्य व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के संकल्प के आलोक में मदिरा के बोतल/सैचट/कैन पर उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिनाँक–01.02.2016 से राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त दुकानों से बगैर उत्पाद आसंजक लेबल चिपकाये गये मदिरा के बोतल/सैचट/कैन की ब्रिक्री नहीं की जाएगी। उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) का स्वरूप निम्नरूपेण रहेगाः–

1– उत्पाद आसंजक लेबल की लम्बाई 75 एम0एम0 एवं चौड़ाई 15 एम0एम0 होगी।

2– भारत निर्मित विदेशी शराब के लिये नीला रंग, बीयर के लिये लाल रंग, देशी शराब के लिये पीला, मसालेदार देशी शराब के लिये हरा रंग एवं आयातित विदेशी मदिरा के लिए गुलाबी रंग का उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) प्रयुक्त किया जाएगा। मदिरा के विभिन्न प्रकार के लिये, EAL का रंग त्रैमासिक आधार पर बदल दिया जाएगा।

3– अल्ट्रा वायलेट लाईट के माध्यम से आयुक्त उत्पाद का हस्ताक्षर एवं झारखण्ड सरकार का 'लोगो' उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) पर दिखाई देगा, जो सामान्य अवस्था में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुरक्षा विशिष्टियाँ भी उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) में समाविष्ट हैं। EAL को सत्यता की जाँच 1-Nigma नामक Mobile app से इसके 2–D बार कोड को स्कैन कर भी की जा सकती है। उत्पाद आसंजक लेबल (Excise Adhesive Label) नहीं चिपका होने पर मदिरा का सेवन हानिकारक हो सकता है। इस संबंध में आशंका होने पर जिला के उत्पाद पदाधिकारी से इसकी जाँच करायी जा सकती है।

12. उपभोक्ताओं के लिए "Dry Day" के संबंध में जानकारीः–

झारखण्ड सरकार राजस्व पर्षद के गजट संख्या–704 दिनाँक–29 नवम्बर 2012 द्वारा झारखण्ड उत्पाद अनुज्ञप्तियों के लागू सामान्य शर्त्ते को संशोधित किया गया है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) एवं महात्मा गाँधी का जन्म दिवस (2 अक्टूबर) को सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ बन्द रहेगी, साथ ही दुर्गा पूजा, होली रामनवमी, ईद एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर जिला उपायुक्त अपने विवेकानुसार पर्व

मनाने के मुख्य तिथि को अधिकतम एक दिन के लिए उत्पाद अनुज्ञप्तियों को बन्द रखने की घोषणा कर सकते हैं।

13. उत्पाद विषयक अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधानः–

दण्डात्मक प्रावधान	**दण्ड की संक्षिप्त विवरणी**
धारा–47ः–विधि विरूद्ध आयात निर्यात, परिवहन, विनिर्माण कब्जा उपयोग, विक्रय इत्यादि के लिए दण्ड–	कारावासः– न्यूनतम छः महीना एवं अधिकतम पाँच वर्ष जुर्माना–न्यूनतम पाँच हजार रू0 अधिकतम–एक लाख रू0
धारा–49ः–किसी विकृत आसव को परिवर्तित तथा तदर्थक प्रयास के लिए दण्ड–	कारावास–न्यूनतम एक वर्ष, अधिकतम– पाँच वर्ष जुर्माना– न्यूनतम–एक लाख अधिकतम–पाँच लाख
धारा–52ः–मदिरा के अपमिश्रण के लिए दण्डः–	(a) मृत्यु होने पर– कारावास दस वर्ष तक जुर्माना–दस लाख (b) गंभीर उपहती–कारावास–दस वर्ष तक जुर्माना– पाँच लाख तक (c) परिणामिक क्षति–कारावास–दस वर्ष जुर्माना–2. 50 लाख तक (d) कोई क्षति कारित ना हो–कारावास– सात वर्ष तक जुर्माना एक लाख
धारा–53ः–अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता अथवा निर्माणकर्त्ता अथवा उसके किसी सेवक द्वारा नियम के विरूद्ध कपटपूर्ण कार्य किये जाने पर अधिरोपित दण्डः–	कारावास– अधिकतम एक वर्ष तक जुर्माना–अधिकतम एक लाख
धारा–54ः– अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता या उसके किसी सेवक द्वारा विशेष नियम विरूद्ध कार्य करने पर अधिरोपित दण्डः–	जुर्माना– पच्चीस हजार तक
धारा–55ः– जिस मदिरा के सम्बन्ध पूर्व में ही अपराध घटित हो चुका हो उसे रखने हेतु अपराधः–	कारावास–न्यूनतम छः माह अधिकतम तीन वर्ष जुर्माना–न्यूनतम पच्चास हजार अधिकतम एक लाख अथवा मदिरा के मूल्य का दस गुणा रकम हो अधिक हो।
धारा–56ः– केमिष्ट दुकान पर मदिरा का उपयोग हेतु दण्ड़ः–	जुर्माना अधिकतम पाँच हजार कारावास–अधिकतम तीन माह तक
धारा–57ः– अनुज्ञप्ति धारी या उसके सेवक के कतिपय कृत्यों के लिये दण्ड़ः–	(क) पारक याा पास ना प्रस्तुत करने पर–जुर्माना दस हजार (ख) नियम का जान बूझ कर उल्लंघन करने पर :– प्रथम बार के लिए उत्पाद राजस्व की हानि की दुगनी रकम से कम नहीं या पाँच लाख रूपये जो अधिक हो (ग) द्वितीय पुर्नरावृति के लिए– उत्पाद राजस्व हानि का चार गुणा से कम नहीं या दस लाख रूपये जो अधिक हो (घ) जहाँ उत्पाद राजस्व हानि अर्न्तग्रस्त ना हो तो जुर्माना न्यूनतम दस हजार रूपये अधिकतम–एक लाख रूपये

14. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का जन सामान्य व उपभोक्ताओं से अपेक्षाएँः—

मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है परन्तु फिर भी जो उपभोक्ता मदिरा का सेवन करते हैं, विभाग उपभोक्ताओं से निम्न बातें सर्वदा याद रखने की अपेक्षा रखता हैः—

1. सरकारी लाईसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अवैध स्त्रौत से क्रय की गई नकली शराब का सेवन स्वास्थ्य एवं जीवन दोनों के लिए घातक हो सकता है। अतः शराब का क्रय (खरीद) सरकारी लाईसेंसी दुकानों से ही करें—अवैध अड्डों से बेचे जाने वाली अवैध शराब नकली एवं जहरीली हो सकती है।
2. शराब क्रय करने से पूर्व यह अवश्य जाँच लें कि उसकी बोतल पर झारखण्ड सरकार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का सुरक्षा होलोग्राम लगा हो, जो सही हालत में हो।
3. सुरक्षा होलोग्राम अथवा शराब की बोतल नकली होने के संदेह होने पर तत्काल जिला के उत्पाद अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी को सूचित करें।
4. अवैध शराब की ब्रिक्र की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपने जिला के उत्पाद अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी को सूचित करें।
5. MRP से अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायतों को उस जिला के अधीक्षक/सहायक आयुक्त उत्पाद को अविलंब दी जाए।
6. सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के निमित्त यदि किसी के द्वारा अवैध लेन देन के लिये दबाव डाला जा रहा हो तो इस सम्बन्ध में आयुक्त उत्पाद को सूचित करें।

   इसके अतिरिक्त उत्पाद मुख्यालय में गठित नियंत्रण कक्ष के निम्न दूरभाष नः पर सूचित किया जा सकता हैः— 0651—2400508

14. बेब साईट- W.W.W. Jharkhand.Gv.In पर भी आपत्तियों/परिवाद का स्वागत है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग चार्टर के अधीन लक्ष्य/उद्देश्य की पुर्न समीक्षा एवं सुधार हेतु सतत् प्रत्यत्नशील है।

Let us join in making this charter a success.